राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या–954/2009/कोटा
2.अपील संख्या–955/2009/कोटा
3.अपील संख्या– 47/2010/काटा

सहायक आयुक्त
विशेष वृत–द्वितीय, कोटा ..अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स गेल इण्डिया लिमिटेड
कोटा प्रत्यर्थी

4.अपील संख्या–46/2010/कोटा

मैसर्स गेल इण्डिया लिमिटेड
कोटा अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
विशेष वृत–द्वितीय, कोटा प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी विभाग की ओर से
श्री एम.एल.पाटोदी,
अभिभाषक व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक :09.05.2017

निर्णय

उपरोक्त चारों अपीलों में से प्रथम तीनों अपीलें सहायक आयुक्त, विशेष वृत–द्वितीय वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 05 व 04/ई.टी/2008–09/कोटा/माल प्रवेश कर तथा अपील संख्या 09/ई.टी/2009–10/कोटा में पारित पृथक आदेश दिनांक 15.5.2009, 24.04.2009 एवं 29.10.2009 तथा अपील संख्या 46/2010 व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील संख्या 09/ई.टी/2009–10/कोटा में पारित आदेश दिनांक 29.10.2009 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

उक्त चारों अपीलों में निर्णय हेतु समान बिन्दु निहित होने तथा व्यवहारी एक ही होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति चारों पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 के कर निर्धारण राजस्थान लोकल टैक्स ऑन एन्ट्री आफ गुड्स इनटू लोकल एरिया एक्ट (जिसे आगे प्रवेश कर अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 12 (4) के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–तृतीय, कोटा एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रमशः आदेश दिनांक 31.03.2006,15.02.2008 एवं 29.09.2009

को पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा अग्रिम कर के रूप में जमा कराई गई राशि के पश्चात शेष रही राशि के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उन्होंने प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए आरोपित प्रवेश कर तथा ब्याज को अपास्त कर इन बिन्दुओं पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को कतिपय निर्देशों के साथ कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये हैं, जिससे असन्तुष्ट होकर प्रथम तीनों अपीलें विभाग की ओर से तथा चौथी अपील व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई हैं।

व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों क्रमशः दिनांक 15.05.2009, दिनांक 24.04.2009 एवं 29.10.2009 से कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कार्यवाही करने हेतु उक्त चारों प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये थे, जिनकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः वर्ष 2002–03, वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 के कर निर्धारण दिनांक 17.05.2011, दिनांक 17.05.2011 एवं दिनांक 20.10.2011 को पारित कर दिये गये हैं (आदेश कर निर्धारण आदेशों की प्रतियॉ कर बोर्ड की पत्रावलियों में संलग्न है), इसलिए जिन आदेशों के विरूद्ध उपरोक्त अपीलें प्रस्तुत की गई है, वह अपीलें सारहीन (Infructuous) हो जाने से अस्वीकार योग्य हैं।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक के कथन का विरोध करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का तर्क प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश क्रमशः दिनांक 15.05.2009, दिनांक 24.04.2009 एवं 29.10.2009 एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये थे। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः वर्ष 2002–03, वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 के कर निर्धारण दिनांक 17.05.2011, दिनांक 17.05.2011 एवं दिनांक 20.10.2011 को पारित किये जा चुके हैं।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश क्रमशः दिनांक 15.05.2009, दिनांक 24.04.2009 एवं 29.10.2009 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने से अब अपीलीय अधिकारी के प्रकरण

प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेशों के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग (2009) 25 टैक्स अपडेट 59,** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामतः राजस्व एवं व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत चारों अपीलें सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष